न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी मंगलाराम पूनिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 107 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
चिमनाराम पुत्र पदमाराम जाति माली निवासी राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. भुराराम पुत्र भेराराम 2. भवाराम पुत्र भेराराम 3. सांवलाराम पुत्र भेराराम 4. केसाराम पुत्र रूड़ाराम 5. छोगाराम पुत्र रूड़ाराम 6. भूपाराम पुत्र रूड़ाराम 7. मोहनलाल पुत्र रूड़ाराम 8. गजाराम पुत्र हेमाराम 9. नरपत पुत्र हेमाराम 10. मन्साराम पुत्र कालुराम 11. रमेशकुमार पुत्र कालुराम 12. लिखमाराम पुत्र कालूराम जाति माली निवासी राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 13. तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 131 / 2022 बअनवान भूराराम बनाम केसाराम में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री 28.07.2023 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री देवाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 की ओर से।
3. वकील श्री भंवरलाल सारण की तरफ से ब्रीफ हॉल्डर अधिवक्ता सुनिल के मेराजा रेस्पोडेंट संख्या 04 से 07 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—10.01.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 03 (वादी) द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं

10.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र गुड़ामालानी के राजस्व ग्राम राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी में खेत खसरा संख्या 1772/1293 क्षेत्रफल 8.3690 हैक्टयर की अवस्थित है। अपीलाधीन आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है तथा हिस्से खुले हुए है उक्त आराजी वादीगण प्रत्येक का 146/3117–146/3117 हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त का है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का है। प्रतिवादीगण एवं वादीगण के मध्य उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में विधिवत बंटवाड़ा नहीं होने से प्रतिवादीगण हमेशा वादीगण के कब्जे में दखल हस्तक्षेप करते रहते है। इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि उपरोक्त आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांटगण पर उपरोक्त स्थिति में विधिवत रूप से तामिली नहीं हुई है, जिस वजह से अपीलांटगण को न तो जबावदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान हुआ और न ही साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटगण को प्राकृतिक न्याय एवं साम्या के सिद्धांतों के अनुसार सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना अतिआवश्यक था किन्तु नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने कोई

10.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अवसर नहीं दिया गया। उतरदाता संख्या 01 से 03 के द्वारा अपीलांट के हक अधिकार की जमीन हड़पने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश कर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही एकपक्षीय रूप निर्णय करवा दिया। ताकि अपीलाधीन आराजी का विभाजन राजस्व मण्डल राजस्थान के विभाजन नियम 18 से 21 विपरीत किया जावे। अपीलाधीन आराजी का विभाजन नहर की सिंचाई की सुविधा को ध्यान में रख कर किया जाना आवश्यक है। किसी भी एक पक्षकार को सम्पूर्ण भूमि नहर पर व दूसरे पक्षकार को नहर से वंचित नहीं रखा जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट 01 से 03 ने अपनी बहस करते हुए बताया कि कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। हिस्सों को लेकर अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अपीलांटस द्वारा हस्तगत प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से यह अपील पेश की। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। उसके उपरांत भी अपीलांटस को विभाजन प्रस्ताव पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपति पेश करने का अवसर दिया जाता है तो मुझे कोई आपति नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 04 से 07 ने अपना लिखित जबाव एवं क्रॉस अपील पेश कर उसमें वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए बहस करते हुए बताया कि

10.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हम उतरदातागण को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को नियुक्त किया था जिस पर विधिनुसार तहसीलदार गुड़ामालानी को दोनों पक्षों को नोटिस दिया जाकर दोनों पक्षों की उपस्थिति में नियम 18 से 21 की संपूर्ण पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करना था परन्तु हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा न तो उतरदाता संख्या 04 से 07 को नोटिस दिया गया और न ही मौके पर आकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया गया। विभाजन प्रस्ताव बनाते समय उतरदाता संख्या 04 से 07 को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश विभाजन प्रस्ताव अनाधिकृत तथा मौका कब्जा एवं स्थायी आलामत एवं भूमि की गुणवता के प्रतिकूल प्रस्ताव तहसीलदार गुड़ामालानी के मातहत कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यालय में बैठकर वादीगण से अनुचित लाभ प्राप्त कर षड़यत्र पूर्वक प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार करते हुए साथ में हम उतरदाता संख्या 04 से 07 द्वारा पेश क्रॉस अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण एवं उतरदाता संख्या 04 से 07 के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को जबावदावा एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.07.2023 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उतरदाता संख्या 01 से 03/वादीगण के हिस्सों की घोषणा कर बंटवारा करने के आदेश पारित

10-1-24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किये गये जबकि उतरदाता संख्या 04 से 07 ने क्रॉस अपील पेश कर अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा करने का निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 131/2022 बअनवान भूराराम बनाम केसाराम में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री 28.07.2023 को संशोधित किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वादीगण/उतरदाता संख्या 01 से 03 के साथ अपीलांटगण एवं उतरदाता संख्या 04 से 07 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सों के अनुसार अलग कर बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में भूमि की गुणवता/स्थायी आलामात/कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.02.2024 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(मंगलाराम भूमिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 10.01.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर